महत्वपूर्ण एवं खास

दवाई सप्लाई करने के नाम पर 7 लाख से अधिक की ठगी

रायपुर (आरएनएस)। अज्ञात व्यक्ति ने दवाई खरीदी सप्लाई करने के नाम पर अपने बैंक खाता में 7 लाख से अधिक रकम जमा करवाकर धोखाधड़ी किया। प्रार्थी की शिकायत पर देवेन्द्र नगर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी कवलजीत सिंह बांगा 56 वर्ष शुभम विहार न्यू पुरैना न्यू राजेन्द्र नगर का रहने वाला है। प्रार्थी होलसेल दवाई विक्रय का कार्य करता है। प्रार्थी के हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स एग्रोवेट डिवीजन के ईमेल आईडी में दवाई खरीदी सप्लाई के नाम पर आरोपी ने अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता क्रमांक 23550100020797 में 7,88,954 रुपए जमा करवाकर धोखाधड़ी किया। प्रार्थी की शिकायत पर देवेन्द्र नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

सीमेंट सप्लाई के नाम पर 8 लाख से अधिक की धोखाधड़ी

रायपुर (आरएनएस)। अल्ट्राटेक सीमेंट सप्लाई करने के नाम पर 8 लाख से अधिक की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी की शिकायत पर तेलीबांधा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी भारत भूषण गुप्ता 41 वर्ष अवंतिविहार तेलीबांधा का रहने वाला है। प्रार्थी ने थाना में शिकायत किया कि आरोपी आशीष शुक्ला ने प्रार्थी को फोन कर अपने आप को अल्ट्राटेक सीमेंट का एजेंट बताया और 3 हजार बोरी सीमेंट भेजने के नाम पर 883500 रुपए लेकर धोखाधड़ी किया। प्रार्थी की शिकायत पर तेलीबांधा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

5 जुआरी चढ़े पुलिस के हत्थे

रायपुर (आरएनएस)। पुरानी बस्ती पुलिस ने जुआ खेलते 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से ताशपत्ती सहित नकदी 8550 रुपए जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुरानी बस्ती पुलिस को रात मुखकिर से सूचना मिली कि भाठागांव स्थित जीके होण्डा शोरूम के पीछे छीर्रापारा में कुछ लोग जुआ खेल रहे है। सूचना पर मौके में पहुंची पुलिस ने आरोपी पिंटू ठाकुर 27 वर्ष सहित अन्य 4 गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से ताशपत्ती सहित नकदी 8550 रुपए जब्त किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

अवैध शराब के साथ बाइक सवार गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। धरसींवा पुलिस ने ग्राम कुरा के पास बाइक सवार युवक के पास से 21 पाव देशी शराब जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम कुरा के पास बाइक सवार युवक अवैध शराब बिक्री करने रखा है। सूचना पर मौके में पहुंची पुलिस ने आरोपी बुधराम बंजारे 24 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से बाइक, 21 पाव देशी शराब और बिक्री रकम 300 रुपए जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

गांजा के साथ महिला गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। टिकरापारा पुलिस ने काशीराम नगर के पास दबिश देकर गांजा के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार टिकरापारा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर काशीराम नगर में दबिश देकर आरोपियाहिना गोपाल पति दीलवाला गोपाल 32 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपिया के पास से 2 किलो 35 ग्राम गांजा जब्त किया है। जब्त गांजा के साथ 23 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने आरोपिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

छत्तीसगढ़ के 17 जिलों में ग्रामीण आबादी वाले रहवासियों को मिलेगा मालिकाना हक

- प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल कार्यक्रम में पूरे देश में 57 लाख अधिकार अभिलेख करेंगे वितरण
- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय धमतरी में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल
- 50 हजार से अधिक आबादी भूमि के रहवासियों को मिलेंगे भूमि संबंधी रिकार्डस

रायपुर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में 27 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में ग्रामीण रहवासियों को मालिकाना हक देने के साथ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी स्वामित्व योजना के तहत पूरे देश में 57 लाख से अधिक सम्पत्ति कार्ड का वितरण करेंगे। इनमें छत्तीसगढ़ के 17 जिलों के 50 हजार से अधिक सम्पत्ति मालिकों के भूमि संबंधी रिकार्डस शामिल हैं। स्वामित्व योजना में मालिकाना हक के साथ ही रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रदान करने के लिए जिलों में समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन दोपहर

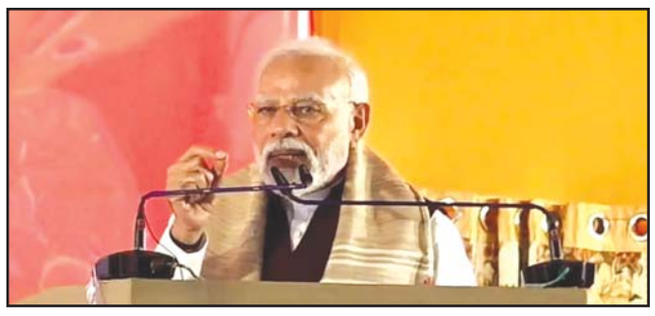

12:30 बजे से प्रारंभ होगा।

इन जिलों में आयोजित होंगे कार्यक्रम

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय धमतरी में आयोजित समारोह में शामिल होंगे। इसी प्रकार उपमुख्यमंत्री अरुण साव कोरबा, उपमुख्यमत्री विजय शर्मा दुर्ग, कृषि मंत्री रामविचार नेताम बलरामपुर-रामानुजगंज, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल महासमुंद, वन मंत्री केदार कश्यप राजनांदगांव, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, कबीरधाम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बलौदाबाजार-भाटापारा, वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी सरगुजा और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सूरजपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके अलावा 7 अन्य जिलों कोण्डागांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, बालोद, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, सक्ती में भी स्वामित्व कार्डों का वितरण होगा।

स्वामित्व योजना के हैं कई लाभ

स्वामित्व योजना का उद्देश्य भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के माध्यम से ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करना है। इस योजना में ड्रोन सर्वे और जीआईएस मानचित्रों की सहायता से भूमि रिकार्डस को सटीक बनाया जाएगा। भूमि संबंधी सर्टिफिकेट मिलने से भूमि संबंधी विवादों मे कमी आएगी। सम्पत्ति की खरीदी बिक्री और हस्तान्तरण आसान हो जाएगा। भूमि मालिकों को बैंकऋण मिलने में आसानी होगी। इसके अलावा शासकीय और सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

योजना की शुरूआत 24 अप्रैल 2020 से

स्वामित्व योजना की शुरूआत 24 अप्रैल 2020 को ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में ग्रामीण रहवासियों को मालिकाना हक देने के लिए हुई थी। देश के अब तक 3.17 लाख गांव में ड्रोन सर्वे पूरा किया गया है एवं 1.49 लाख गांव के लिए 2.19 करोड़ सम्पत्ति कार्ड तैयार किए गए है। छत्तीसगढ़ के सभी आबादी गांव में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है एवं 1384 गांवों में 1.84 लाख सम्पत्ति कार्ड तैयार किए गए है।

गुरु गोविंद सिंह के वीर साहिबजादों के अमर बलिदान की कहानी छत्तीसगढ़ के स्कूली पाठ्यक्रम में होगी शामिल

- वीर बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की बड़ी घोषणा

रायपुर। गुरु गोविंद सिंह जी के वीर साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के अमर बलिदान की कहानी अब छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों को पढ़ाई जाएगी। वीर साहिबजादों के वीरता की यह कहानी देश के युवाओं को साहस के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज वीर बाल दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित बौद्धिक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए यह बड़ी घोषणा की। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह और वीर साहिबजादों का पुण्य स्मरण कर कहा कि हमें उनकी शिक्षाओं को अपनाना चाहिए और नई पीढ़ी को उनके आदर्शों से जोड़ना चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वीर साहिबजादों के जीवनी पर आधारित एनिमेटेड फिल्म भी देखी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वीर बाल दिवस हमें राष्ट्र की रक्षा के लिए सिख गुरुओं के त्याग की महान सिख परंपरा की याद दिलाता है। हमें ऐसे महान वीर सपूतों की प्रेरक कहानियां अपने बच्चों और समाज को बतानी चाहिए। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के साहेबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया। साय ने कहा कि भारत की प्रत्येक पीढ़ी गुरु गोविंद सिंह जी एवं उनके साहेबजादों के बलिदान को सदैव याद रखेगी। देश के लिए जीना और देश के लिए जरुरत पड़ने पर अपने प्राणों की आहुति देने की प्रेरणा हमें वीर बाल दिवस से मिलती है। उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस हमें राष्ट्र की एकता और अखंडता का भी स्मरण कराता है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि समाज को तोड़ने वाली ताकतें हर दौर में सक्रिय रहती हैं। लेकिन गुरुगोविंद सिंह और उनके साहेबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जैसे वीर जिस धरती पर जन्म लेंगे उसकी ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। उन्होंने कहा कि बाबा जोरावार सिंह जी और बाबा फतेह सिंह किसी एक धर्म या पंथ के लिए प्रेरणास्रोत नहीं हैं। वह संपूर्ण भारत के लिए अनुकरणीय हैं। साय ने कहा कि भारत का चरित्र मूल रूप से सामाजिक समरसता का रहा है। हमारे देश में कट्टरता और उन्माद को कभी जगह नहीं मिली। हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ की स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। हमने विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प लिया है। यह संकल्प सामाजिक समरसता से ही पूरा होगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ तो देशभर में अपनी सामाजिक समरसता, शांति और सौहार्द्र के लिए जाना जाता है। इसकी जड़ों को और गहरा करना होगा।

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम राज का भिलाई दौरा

भिलाई-रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम का भिलाई आगमन हुवा इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता लेकर बताया कि मे मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान दौरा कर व्यवस्था देखने निकला हु सब सुचारु रूप से चल रही है कि नहीं और समाज के बीच विवाद को दूर करना है मस्जिद मे सदर को लेकर चुनाव होने पर उन्होंने कहा कि चुनाव होने से विवाद बढ़ता है आपसी बैठक कर सहमति से अध्यक्ष चुनाव करने कि जरूर बताया उन्होंने राजनैतिक अड्डा नहीं बनाये जाने कि बात कही गए वक्फ बोर्ड के द्वारा जमीन पर दावा करने के सवाल पर कहा गया कि इसके भी नियम क़ानून है जिस का अवलोकन करना चाहिए, किसी भी प्रकरण का पूर्ण निरिक्षण किया जाता है भिलाई दुर्ग मे विवाद कि स्तिथि नहीं है कुछ जगह जैसे गोसिया मस्जिद, कुम्हारी मस्जिद मे जिसे आपास मे बैठक सुलझा लिया जायेगा छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का आदेश निकला गया है कि मस्जिद मे जो भी लेने देन हो वो बैक के माध्यम से हो, जिसका 30त्न समाज के उथान मे शिक्षा के क्षेत्र मे होना चाहिये, कुछ लोगो दवारा काला झंडा दिखाने कि बात पर कहा गया कि ये कांग्रेस के भटके हुए युवा है जिन्हे वक्फ बोर्ड संसोधन बिल के बारे मे जानकारी नहीं है संसोधन बिल समाज के उथान के लिए आ रहा हैप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला रहे है उन्हें मोदी जी का विरोध करना है।

सड़कों पर गंदगी फैलाने वाले व्यापारियो से 9500 रूपए की चालानी कार्यवाही

भिलाईनगर (आरएनएस)। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के जोन क्रमांक 01 अंतर्गत सिंगलयूज प्लास्टिक पर सामग्री बेचने एवं खरीदने को रोकने पर कार्यवाही लगातार जारी है। वार्ड क्रं. 02 स्मृति नगर में विभिन्न व्यवसासियों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर सामग्री बेचने एवं गीला एवं सूखा कचरा पृथक कर नहीं देने वाले व्यापारियो पर चालानी कार्यवाही की गई। प्रमुख रूप से हैप्पी फास्ट फूड सेंटर 500, नैवदयम द बैसिक इंडियन फास्ट फूड 1100, तिरूमाल ब्रेक फास्ट सेंटर 500, यू टेस्ट डब सेंटर 2000, महालक्ष्मी टी स्टाल 200, आर एस सैलून 1000, गौरव सेनेटरी एवं हार्डवेयर 700, वेदांश इंटरप्राईजेस 1000, स्कीजेर युनिसेक्स सैलून 1000, द स्ट्राईलैंड ब्यूटी पार्लर 1000 एवं गुड फूड सेंटर 500 रूपये की चालानी कार्यवाही करते हुए कुल 9500 रूपये अर्थदण्ड वसूला गया। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने अधिकारियो को निर्देश दिए है, कि जो भी व्यापारी सिंगलयूज प्लास्टिक में खादय सामग्री विक्रय कर रहे है या व्यवसाय परिसर, फल ठेला के आस-पास गंदगी फैला रहे है या फिर गीला एवं सूखा कचरे को अलग-अलग डस्ट बिन में नही डाल रहे है। उनके पास जाकर उनसे चालानी कार्यवाही कर अर्थदण्ड वसूला जाए। व्यापारियो को बार-बार समझाइस देने के बाद भी कचरा पृथक कर नहीं दे रहे है, एवं सिंगलयूज प्लास्टिक पर खादय पदार्थ बेच रहे है। शहर की साफ-सफाई में जो व्यापारी सहयोग नही कर रहे है। उन पर अर्थदण्ड की कार्यवाही लगातार की जा रही है।

नाबालिग के साथ अपराध में शामिल आरोपी की हुई गिरफ्तारी

कवर्धा-रायपुर | आरएनएस

थाना सूर्यनगर, जिला बेंगलुरु (कर्नाटक) में बाल संरक्षण समिति के अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, एक नाबालिग लडक़ी ने शासकीय अस्पताल, बेंगलुरु में नवजात शिशु को जन्म दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना सूर्यनगर में धारा 376 भारतीय दंड संहिता 4, 5(द्य), 6 पॉक्सो एक्ट और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 9 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। जांच के दौरान घटना स्थल थाना पंडरिया (जिला कबीरधाम) क्षेत्र का होने की पुष्टि होने पर अग्रिम विवेचना हेतु प्रकरण की डायरी थाना पंडरिया को प्रेषित की गई। प्रकरण की जानकारी पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेंद्र सिंह को दी गई, जिन्होंने प्रकरण की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

आरोपी की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम का गठन-

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल और पंकज पटेल के दिशा निर्देशन तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) संजय ध्रुव के पर्यवेक्षण में उप निरीक्षक ज्ञान सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। आज दिनांक 26 दिसंबर 2024 को आरोपी की सूचना मिलने पर पुलिस टीम को त्वरित कार्रवाई के लिए रवाना किया गया। टीम ने सुनियोजित तरीके से कार्रवाई करते हुए आरोपी लक्ष्मण सोनवानी (पिता गोकुल सोनवानी, उम्र 24 वर्ष, निवासी तेंदुआडीह, थाना पंडरिया, जिला कबीरधाम) को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने कहा, यह प्रकरण बेहद संवेदनशील है और इस प्रकार के अपराध समाज के ताने-बाने को नुकसान पहुंचाते हैं। पुलिस प्रशासन अपराध के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

ट्रांसफार्मर से टकराया आरक्षक, मौत

भिलाई नगर | आरएनएस

आईजी ऑफिस दुर्ग में पदस्थ आरक्षक की सडक़ हादसे में मौत हो गई। दुर्घटना देर रात 12:00 की बताई जा रही है आरक्षक बाइक से स्मृति नगर स्थित अपने घर जा रहा था। अचानक वो बाइक सहित सडक़ किनारे ट्रांसफार्मर से टकरा गया। सिर में गहरी चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सुपेला थाना प्रभारी राजेश मिश्रा ने बताया कि उपेंद्र तिवारी बाइक 2208 से बुधवार देर रात अकेले मोहन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरि नगर स्थित अपने घर जा रहा था। आरक्षक हरि नगर से थोड़ा पहले क्रिश 2 होटल के पास पहुंचा, वहां सडक़ किनारे लगे ट्रांसफर्मर से टकरा गया। इसके बाद उपेंद्र नाली में गिरा और उसका सिर फट गया। सूचना मिलते ही सुपेला और स्मृति नगर पेट्रोलिंग मौके पर पहुंची। तब तक 112 और 108 एंबुलेंस वहां पहुंच गई थी। उन लोगों ने उपेंद्र को बेहोशी की हालत में ही तुरंत चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उसके शव को दुर्ग स्थित मरचुरी में रखवा दिया गया है। फिलहाल पुलिस द्वारा मर्ग कायम किया गया है।

दो बच्चों के सिर से उठा पिता का साया -

उपेंद्र तिवारी साल 2007 बैच का सिपाही था। वह मूलत: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का रहने वाला था। भिलाई में उसकी पत्नी और एक तीन साल की बेटी और एक साल का बेटा रहते थे। उसकी मौत की खबर सुनने के बाद उसके माता पिता उत्तर प्रदेश से भिलाई के निकल गए हैं।

शराब पीने का था आदी -

उपेंद्र शराब पीने का आदी थी। दो साल पहले वो जब वैशाली नगर थाने में पदस्थ था तो उसका एक बार में शराब पीने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। उस वीडियो में वो किसी से ऑनलाइन सट्टा एप का पैनल चलाने की बात कर रहा था। जब भास्कर ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया तो पुलिस विभाग में हडक़ंप मचा हुआ है। इसके बाद दुर्ग एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव ने आरक्षक उपेंद्र कुमार तिवारी को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंशन से बहाली के बाद उसे सुपेला थाने में पदस्थ किया गया था, वहां से उसकी ड्ययूटी आईजी ऑफिस में लगाई गई थी और वो वहीं पर ड्यूटी कर रहा था। इतनी रात में वो कहां से आ रहा था इसकी जानकारी पुलिस को भी पता नहीं है।

गांजा तस्करी करते दो अंतर्राजीय तस्कर गिरफ्तार

- आरोपियों के कब्जे से 164 किलो ग्राम गांजा कीमती 32, लाख 80 हजार जब्त

रायपुर | आरएनएस

पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर के द्वारा महासमुंद जिले में टीम को नशीली पदार्थ, अवैध शराब तथा अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले लोगो के खिलाफ कार्यवाही तथा सघन चेकिंग अभियान करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसके साथ ही परिवहन के उन सभी रास्तों पर जगह व समय बदल-बदल कर नाकेबंदी कर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग करने निर्देशित किया गया था। दिनांक 25.12.24 को पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज के माध्यम से पिन पॉइंट सूचना मिला कि एक सफेद रंग का 14 चक्का ट्रक में अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर उड़ीसा से महासमुंद की ओर आ रहा है,कि उक्त सूचना पर टीम व पुलिस की टीम के द्वारा ग्राम सिरपुर नाका उड़ीसा बॉर्डर के पास नाकाबंदी कर उक्त वाहन को घेराबंदी कर रोका गया। वाहन में 02 व्यक्ति सवार थे जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम (01) बलबीर कुशवाहा पिता देवीलाल कुशवाहा उम्र 35 वर्ष साकिन मुरेरा थाना सोनगीर जिला दतिया (म प्र) (2) अखलेश अहिरवार पिता हरदास उम्र 30 वर्ष साकिन राजापुर थाना उन्नाव जिला दतिया (म प्र) का होना बताये। जिससे ओड़िशा से आने का कारण व वाहन में क्या रखे हो पूछे जाने पर वाहन मे कपास का बीज लेकर ओड़िशा से राजस्थान जाना बताया और पूछताछ करने पर टाल मटोल व गोलमोल जवाब देने लगे जवाबो में भिन्नता एवं असमानता पाये जाने पर संदेह प्रतीत हुआ एवं वाहन की तलाशी ली गई । वाहन मे कपास का बीज को खाली कराया गया लेकिन ट्रक में कुछ भी नहीं मिला। सूचना पिन पॉइंट थी ,इसलिए ट्रक की फिर से बारीकी से चेकिंग की गई । केबिन को चेक करने पर ड्राइवर के सीट के पीछे गुप्त चैम्बर बना हुआ मिला ,जिसमे 158 पैकेट रखा हुआ था जिसे खोलकर देखने पर अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला। वाहन में अवैध मादक पदार्थ गांजा परिवहन करते पाये जाने पर मौके पर विधिवत कार्यवाही करते हुए आरोपियों के कब्जे से 158 पैकेट भूरे रंग के टेप से टैपिंग किया हुआ कुल 164 कि.ग्रा. अवैध मादक पदार्थ गांजा कीमती 32, लाख 80,हजार रूपये जप्त किया गया। आरोपियों द्वारा अवैध रूप से गांजा परिवहन करते पाए जाने से थाना बलौदा में अपराध/धारा 20(ख) एन0डी0पी0एस0 के तहत् कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

गिरफ्तार आरोपी :- (01) बलबीर कुशवाहा पिता देवीलाल कुशवाहा उम्र 35 वर्ष साकिन मुरेरा थाना सोनगीर जिला दतिया (म प्र) (2) अखलेश अहिरवार पिता हरदास उम्र 30 वर्ष साकिन राजापुर थाना उन्नाव जिला दतिया (म प्र)

जप्त सामग्री :- 01. 164 किलो ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा कीमती 32 लाख ,80,हजार रुपयें। 02. 14 चक्का ट्रक क़ीमत 20 लाख रूपये। 03. 2 नग मोबाइल कीमती 12,हजार रूपये। कुल जुमला कीमती 52,92,000 रूपये (बावन लाख बानवें हजार रूपये) जप्त।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियों की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001
www.nyaysakshi.com
सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU